भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1259

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

जनजातीय बच्चों की बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

†1259. **एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि जनजातीय बच्चों की बीच की ही पढ़ाई छोड़ने की दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है;
(ख) जनजातीय बहुल ब्लॉकों और जिलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का मानचित्रण किया है जहां अनुसूचित जनजाति के छात्रों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है;
(घ) क्या सरकार ने जनजातीय बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने के लिए परिवारों को कोई विशेष छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन प्रदान करना शुरू किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास सुविधाओं का विस्तार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले जनजातीय बच्चों को वापस लाने के लिए कोई नई पहल की है; और
(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (छ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) तैयार की है। वर्ष 2023-24 के लिए भारत में अनुसूचित जनजाति की बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिश के आधार पर, वर्ष 2022-23 से यूडाइज+ को व्यक्तिगत छात्र-वार डेटा एकत्र करने और छात्र पंजिका बनाने के लिए अधिक प्रभावी बनाया गया है। वर्ष 2022-23 से सकल नामांकन डेटा से लेकर व्यक्तिगत छात्र डेटा तक डेटा संग्रह के तरीके में पूर्ण बदलाव आया है। यह पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से भिन्न या अर्थहीन हो जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 123458.63 लाख रुपये के आवंटन के साथ पीएम-जनमन के तहत 492 छात्रावासों के निर्माण को संस्वीकृति दी गई है, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, निःशुल्क यूनीफार्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता तथा नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाया जाएगा। 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका सहित प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों को एक बार पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है, जो बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने में योगदान देता है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच बुनियादी और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है: -

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी)
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति।

जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किया गया था। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी तथा कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को

शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार स्तरोन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख एसटी छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, मोबाइल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु-अनुरूप विशेष प्रशिक्षण, बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाया जा सके।

राष्ट्रीय कार्यशालाओं और निदेशों आदि में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या कम करने का निदेश दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्कूल प्रबंधन समितियों की पूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ “बच्चों को स्कूल वापस लाने” अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए निवारक उपाय और प्रक्रिया अपनाना सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय सहयोग करने और व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

******